GCMS - 2024/393

Form No. III

APP-A

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** कोटा

सरकार **बनाम** ओमकंवर

किस्म मुकदमा 136 **नं.** 35 **सन्** 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
8/11/24	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। ज़ॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 18/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	
18/11/24	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कंसुआ पटवार हल्का रायपुरा तहसील लाडपुरा के खाता संख्या 24 के खसरा 394 रकबा 0.14 है0, खसरा 399 रकबा 0.24 है0, खसरा 400 रकबा 0.18 है0, खसरा 401 रकबा 0.03 है0, खसरा 403 रकबा 0.15 है0, खसरा 404 रकबा 0.20 है0, खसरा 433 रकबा 0.26 है0, खसरा 434 रकबा 0.30 है0, खसरा 435 रकबा 0.20 है0, खसरा 436 रकबा 0.23 है0, खसरा 437 रकबा 0.12 है0, खसरा 467 रकबा 0.53 है0, खसरा 468 रकबा 0.22 है0, कुल किता 13 रकबा 2.80 है0 दर्ज रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी है। उक्त खाते/जमाबंदी में ऑनलाईन होने के उपरांत नामान्तरकरण संख्या 318 व 319 दिनांक 05.06.2024 स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण जर्ये बेचान के ऑटोम्यूटेशन हुए है जो ई–पंजीयन सॉफ्वेयर से ऑटोम्यूटेशन प्रक्रिया के तहत दर्ज हुए है। वर्णित नामा0 संख्या 318 व 319 के द्वारा काश्तकार मोनू सुमन पुत्र गणेशलाल हिस्सा 1/24 जाति माली निवासी रायपुरा उघोगपुरी कोटा की प्रविष्टि हुई है जो दो बार दर्ज हुई है, प्रत्येक का हिस्सा 1/24 दर्ज हुआ है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं लैण्ड रिकॉर्ड रूल्य 1957 के तहत एक काश्तकार का एक ही बार नाम दर्ज होना चाहिए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑटोम्यूटेशन प्रक्रिया द्वारा गलत इन्द्राज हुए है। अतः मोनू सुमन पुत्र गणेशलाल हिस्सा 1/24 जाति माली निवासी रायपुरा उघोगपुरी कोटा की दोहरी प्रविष्टियों को एकजाई करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः खाता संख्या 24 में मोनू सुमन पुत्र गणेशलाल हिस्सा 1/24 जाति माली निवासी रायपुरा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	उघोगपुरी कोटा की दोहरी प्रविष्टियों को एक करने के निर्देश प्रदान करे। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज जमाबंदी ग्राम कंसुआ संवत 2073–2076 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किये गये कथन प्रथम दृष्ट्या ही उचित प्रतीत होते है। प्रार्थी/तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि ऑटोम्यूटेशन प्रक्रिया द्वारा गलत इन्द्राज हुए है। अतः प्रार्थी/तहसीलदार लाडपुरा की स्पष्ट अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर खातेदार मोनू सुमन पुत्र गणेशलाल हिस्सा 1/24 जाति माली निवासी रायपुरा उघोगपुरी कोटा की दोहरी प्रविष्टियों को एकजाई करने के आदेश करने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त निर्णय आज दिनांक 18/11/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मोहर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा 18/11/24 उपखण्ड अधिकारी कोटा	